Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 145–2018/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 30 अगस्त, 2018
(8 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5)।	51—52
	(केवल हिन्दी में)	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त, 2018

संख्या लैज. 26/2018.— दि हरियाणा ग्रुप डी इम्प्लॉइज़ (रिक्रूट्मैन्ट एण्ड कॅन्डिशॅनज़ आफ़ सर्विस) अमेन्डमैन्ट ऑर्डिनन्स, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 21 अगस्त, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2018

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018,
को आगे संशोधित करने के लिए
अध्यादेश

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. यह अध्यादेश हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2018, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 में,— — 2018 का हरियाणा अधिनियम 5की धारा 1 का संशोधन।

(i) उपान्तिक शीर्ष में, ''संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।'' शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप–धारा (3) का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— — 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 6 का संशोधन।

(i) प्रथम परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ; तथा

(ii) द्वितीय परन्तुक में, ''यह और कि'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के परन्तुक में, ''अन्य'' शब्द का लोप कर दिया जाएगा। — 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— — 2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 8 का प्रतिस्थापन।

''8. करार द्वारा नियुक्ति.– जहां सरकार की राय में, किसी विशिष्ट विभाग या कार्यालय में सेवा में किसी विशिष्ट पद या पदों के संदर्भ में भर्ती, सेवा की शर्तें, वेतन, भत्ते, पेंशन, अनुशासन तथा आचरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किए जाने अपेक्षित हैं, तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपबन्ध कर सकती है कि ऐसे पदों पर भर्ती इस अध्यादेश के अनुसार से अन्यथा की जाएगी तथा किन्हीं मामलों के लिए आदेश द्वारा या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के साथ करार द्वारा उपबन्ध कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में सरकार की राय में तथा उस सीमा तक जिनके लिए ऐसे आदेश या करार में विशेष उपबन्ध किए जाने अपेक्षित हैं। इस अध्यादेश की कोई बात किसी मामले जिसके लिए उक्त आदेश या करार में उपबन्ध किया गया है, के सम्बन्ध में इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी :

परन्तु किसी मामले, जिसके सम्बन्ध में आदेश या करार में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है के संबंध में इस अध्यादेश के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।''।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 10का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 23 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''23. अध्यारोही प्रभाव.– तत्समय लागू किन्हीं सेवा नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के उपबन्ध ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति हेतु भर्तियों तथा सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए प्रभावी होंगे।''।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 24 का लोप।

8. मूल अधिनियम की धारा 24 का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,–

(i) क्रम संख्या (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(क) यदि आवेदक के पिता, माता, पति–पत्नी, भाइयों तथा बेटों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/ बोर्ड/ निगम/ कम्पनी/ वैधानिक निकाय/ आयोग/ प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, नहीं था या नहीं रहा है।'';

(ii) क्रम संख्या (2) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए दस अंकों से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।''।

.....

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 अगस्त, 2018.

प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

56517—L.R.—H.G.P., Chd.